छत्तीसगढ. शासन
वित्त ,वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक, एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम
कियान्वयन विभाग
मंत्रालय
अधिसूचना

क्रमांक 1973 एफ/10-372/2001/वा.क./पांच(51) रायपुर, दिनांक 10.9.2001

चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देशित करती है कि इस अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी व्यवसायी, जिसके व्यवसाय का स्थान छत्तीसगढ में हो, के द्वारा जूट बैग्स का विक्रय छत्तीसगढ़ में स्थित उसके व्यवसाय स्थल से अंतर्राज्यीय व्यवसाय या व्यापार के दौरान करने पर, उसके द्वारा किये गये ऐसे विक्रय के टर्न ओवर पर देय कर की गणना राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से दिनांक 31.3.2002 के बीच की अवधि के दौरान 1 प्रतिशत की दर से की जावेगी ।

छत्तीसगढ. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के. आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance, Commercial Tax, Planning, Economic, and Statistics &
20-Point Programme Implementation
Department
Mantralaya

NOTIFICATION

1973
No F/10-372/2001/CT/V(51) Raipur, Dated 10.9.2001

Whereas , the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) , the State Government hereby directs that the tax payable under sub-section (1) of Section 8 of the said Act, by any dealer having his place of business in the state of Chhattisgarh in respect of sales of Jute Bags, by him from any such place of business in the course of interstate trade or commerce, shall, with effect from the date of publication in the official Gazzette upto 31.3.2002, be calculated at the rate of one percent on his turnover of such sales.

By order and in name of the Governor of Chhattisgarh

(K.R. Mishra)
Deputy Secretary